संख्या:133/2026/811/आठ-1-26/001-50बजट/2020 (1752573)

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

उपाध्यक्ष,
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 20 जुलाई,2026**

विषयः-जनपद अयोध्या में स्थित सूर्यकुण्ड में श्रद्धालुओं के लिए जनसुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु सूर्यकुण्ड का सौन्दर्यीकरण एवं विकास सम्बंधी परियोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-78/2021/1606/आठ-1-2021-50बजट/2020 दिनांक 02.12.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या में स्थित सूर्यकुण्ड में श्रद्धालुओं के लिए जनसुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु सूर्यकुण्ड का सौन्दर्यीकरण एवं विकास सम्बंधी परियोजना की लागत रू0 2380.78 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा शासनादेश संख्या-01/2024/05/002-50 बजट/2020 दिनांक 03.01.2024 द्वारा परियोजना की पुनरीक्षित लागत धनराशि रू0 2491.05 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी। परियोजना हेतु समय-समय पर अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या	दिनांक	अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)
1	78/2021/1606/आठ-1-2021-50बजट/2020	02.12.2021	100.00
2	29/2022/747/आठ-1-2022-50बजट/2020	27.06.2022	495.195
3	48/2022/1338/आठ-1-2022-50बजट/2020	31.10.2022	595.195
4	06/2023/118/आठ-1-2023-50बजट/2020	27.01.2023	595.195
5	49/2023/728/001-50बजट/2020	07.08.2023	449.52
6	04/2024/43/003-50बजट/2020	11.01.2024	131.392
		कुल योग	**2366.497**

2- इस सम्बंध में उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या के पत्र संख्या-196 /अयो0वि0प्रा0-अभि0/2026-27 दिनांक 13.07.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या में स्थित सूर्यकुण्ड में श्रद्धालुओं के लिए जनसुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु सूर्यकुण्ड का सौन्दर्यीकरण एवं विकास सम्बंधी परियोजना हेतु निविदा के अनुसार अन्तिम लागत धनराशि रू0 2491.05 लाख के सापेक्ष अन्तिम किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 124.553 लाख (रूपये एक

http://shasanadesh.up.nic.in

करोड चौबीस लाख पचपन हजार तीन सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियॉं, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण की होगी तथा कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(8) कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण को सेन्टेज देय नहीं होगा।

(10) कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करते हुए केवल स्वीकृत मदों के अन्तर्गत किया जायेगा एवं किसी भी दशा में इसका उपयोग अन्य मदों के अन्तर्गत नहीं किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित आर्ट वर्क, फेस लिफ्ट, जीर्णोद्धार एवं पुनरोद्धार में प्रस्तावित लागत के सापेक्ष एकमुश्त लागत अनुमन्य कर लागत आंकलित की गयी है। इस सम्बन्ध में वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि अनुमन्य किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(12) प्रायोजनान्तर्गत आडियो विजुअल सिस्टम, लाइट एण्ड साइउण्ड सिस्टम, सोलर सिस्टम, नवगृह स्कल्पचर आदि हेतु बजटरी आफर/कोटेशन के आधार पर लागत प्रस्तावित की गयी है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोपाइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण से अपेक्षित है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय ।

(13) प्रायोजना में निहित ऐसी समस्त सिविल एवं विद्युत कार्यमदें जो कि लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग वर्ष 2018 की दर अनुसूची में नहीं है, तथा जिनको बाजार दरों /कोटेशन पर आधारित किया गया है, को इन्डीकेटिव दरें माना जाय। इन दरों को न्यूनतम एवं वास्तवित दरों पर कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण का होगा।

(14) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(15) प्रायोजनान्तर्गत 18 जुलाई, 2022 से पूर्व कराये गये कार्यो पर 12 प्रतिशत तथा 18 जुलाई, 2022 के कराये गये कार्यो पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। जी0एस0टी0 लागत वास्तविकता के आधार पर देय होगी। कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चि किया जाय कि प्रायोजन्तर्गत विभिन्न कार्य मदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(16) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अयोध्या विकास प्राधिकरण का होगा।

(17) प्रायोजना प्रस्ताव का अनुमोदन लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(18) उक्त परियोजना की नोडल एजेंसी मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण होंगी। कार्यदायी संस्था अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेन्सी मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-**2** के शासनादेश सं**0**-ए-**2**-**23**/दस-2011-17(4)/**75** दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-**2**-1606/दस-2014-17(4)/**75**, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(20) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना

http://shasanadesh.up.nic.in

शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-अयोध्या विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-2 के लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-051-निर्माण-04-अयोध्या का सर्वांगीण विकास-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेश कुमार राय

विशेष सचिव।

संख्या:133/2026/811(1)/आठ-1-26/001-50बजट/2020 (1752573) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज को अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित।
2. महालेखाकार (परीक्षा-लेखा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज को अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रति सहित।
3. मण्डलायुक्त, अयोध्या।
4. जिलाधिकारी, अयोध्या।
5. उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकरण का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ई मेल आई0डी0 ddoawash@gmail.com पर एवं हार्डकापी शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
9. निदेशक, आवास बन्धु को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11. नियोजन अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव पूजन

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in